रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-15062026-273471
CG-UP-E-15062026-273471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2961]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948
No. 2961]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 1 जून, 2026

का.आ. 3067(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम,1989 (1989 का 24) एवम रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-20 के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपाब अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के अलवर जिले में आगरा फोर्ट-बांदीकुई दोहरीकरण परियोजना विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंन्धन और प्रचालन के लिए , अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा (20 क) की उपधारा 4 के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात राजस्थान पत्रिका एवम दैनिक भास्कर में तारीख 28 मार्च 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और उक्त ग्रामों में कोई आक्षेप प्राप्त नही हुये थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये है।

और उक्त अधिनियम की धारा-20 ई की (उपधारा 01) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा-20 की (उपधारा 01) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस में उपाब (अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोत्त प्रयोजन के लि,, अर्जित की जायेगी।

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-20 ई की (उपधारा 02) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाब (अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जायेगी

अनुसूची

राजस्थान राज्य में आगरा फोर्ट बांदीकुई के मध्य दोहरीकरण रेल परियोजना के लिए अलवर जिले के कठुमर तहसील में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	तहसील का नाम	गाँव का नाम	गाटा सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्र(हेक्टेर मे)	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कठुमर	रिंगसपुरा	539/791	निजी	कृषि	0.1595	1. रमेश पुत्र छाज्या हिस्सा-पूर्ण जाति-मीना सा, देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रोनीजाथान
					योग	**0.1595**	

[फा. सं. एनसीआर-एचक्यूशून्यसीईएनजी(एलएएनडी)/6/2024-ओ/ओ डिप्टी चीफ इंजी./कन्स्ट्रक्शन-एक/एजीसी (कम्प्यूटर संख्याः 114142)]

राजकुमार वानखेड़े, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 1st June, 2026

S.O. 3067(E).— In exercise of the powers conferred by sub – section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) & Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, **" Agra Fort-Bandikui Doubling Project"** in District Alwar in the state of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land.

Any whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely " Dainik Bhaskar" and Rajasthan Patrika" dated 28.03.2025 under sub section (4) of Section 20A of the said ACT.

Any whereas, in village not objections were received and competent Authority have passed the orders accordingly.

Any whereas, in pursuance of sub section 20 E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely, Agra Fort – Bandikui in District of Alwar in the state of Rajasthan.

S.N.	Tehsil Name	Village Name	Plot No.	Types of land	Nature of Land	Acquired area in hectare	Land owner/Beneficiary Name
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Kathumar	Ringaspura	539/791	Private	Agriculture	0.1595	1. Ramesh S/o Chhajya Part-full Caste- Meena Sa. Deh Khatedar Rahin (full account) Rajasthan Gramin Bank, Branch Raunijathan
					Total	**0.1595**	

[F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/6/2024 O/o Dy. CE/C-I/AGC (Computer No. 114142)]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA